राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग

जी–3, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक के पास, सी–स्कीम, जयपुर 302005
दूरभाष सं. 0141–2222403, 2222805, वेबसाईट : www.cmar-india.org, ई–मेल : dlbrajasthan@gmail.com

क्रमांक : एफ.55 ( )अभि./सीई/डीएलबी/20/बाढ़ बचाव/24540-739 दिनांक 06/06/2020

आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी,
नगर निगम/परिषद/पालिका,
समस्त राजस्थान।

विषय : मानसून से पूर्व शहरी क्षेत्रों में नाले–नालियों की सफाई करने एवं मलबे (सिल्ट) को अविलम्ब उठाने बाबत।

प्रसंग : विभागीय पूर्व समसंख्यक पत्रांक : 19670–902 दिनांक 18.05.2020 एवं 23465–23678 दिनांक 4.06.2020 की निरन्तरता में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों द्वारा निर्देशित किया गया था कि मानसून से पूर्व शहरी क्षेत्रों के नाले–नालियों की सम्पूर्ण सफाई करते हुये नालों–नालियों से निकलने वाले मलबा, कचरा (गीला/सूखा) को तुरन्त उठाया जावे एवं नालों की सफाई करने के पश्चात् उन्हें सुरक्षा की दृष्टि से पुनः ढ़कने की व्यवस्था की जावे। सड़कों पर फैले मलबा, कचरा को भी अविलम्ब हटाने की कार्यवाही की जावे। यह कार्य 15 जून, 2020 से पूर्व आवश्यक रूप से पूर्ण कर लिया जावे। किन्तु विभाग की जानकारी में आया है कि कतिपय नगर निकायों द्वारा नाला–नालियों से निकलने वाले मलबा, कचरा (गीला/सूखा) को तुरन्त नहीं उठाया जा रहा है, जिससे वह मानसून पूर्व की बारिश में पानी के साथ बहकर पुनः नालों में जा रहा है एवं नालों में पुनः सिल्ट जमा हो रही है। यह अत्यन्त ही लापरवाही व उदासीनता का द्योतक है।

अतः इस सम्बन्ध में निर्देशानुसार पुनः निर्देशित किया जाता है कि नालें–नालियों से निकलने वाले मलबा, कचरा (गीला/सूखा) को अविलम्ब उठाया जावे। सड़कों पर फैले मलबा, कचरा को भी अविलम्ब हटाने की कार्यवाही की जावे। सड़कों व अन्य छोटी नालियों से बड़े नालों में पानी के प्रवेश के रास्तों/मौखों (Opening) पर लोहे के जाल/जाली लगाई जावे, जिससे ठोस कचरा, प्लास्टिक आदि नालों में नहीं जा सकें। सड़क पर बने हुए नाला–नालियों के क्रासिंग पर व आबादी क्षेत्र में खुले नालों को फेरोकवर आदि से तुरन्त ढ़काव किया जावे।

अतः उक्तानुसार अविलम्ब कार्यवाही करते हुये, की गई कार्यवाही की रिपोर्ट से विभाग को ई–मेल : cedlbjp@gmail.com पर संलग्न प्रपत्र में सम्बन्धित उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग के माध्यम से 3 दिवस में भिजवाने का श्रम करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

(उज्जवल राठौड़)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

D:\DLB\Degaster Managment\Letters doc doc

Scanned with CamScanner

क्रमांक : एफ.55 ( )अभि./सीई/डीएलबी/20/बाढ़ बचाव/24740- दिनांक : 06/06/2020
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :– 24994

01. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
02. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
03. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
04. जिला कलेक्टर्स (समस्त), राजस्थान।
05. महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगर निगम/परिषद/पालिकायें, समस्त राजस्थान।
06. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर।
07. मुख्य अभियन्ता, नगर निगम, जयपुर, जोधपुर।
08. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता, नगर निगम, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर।
09. सिस्टम एनालिस्ट, IT अनुभाग, निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड़ करने हेतु।
10. जन सम्पर्क अधिकारी, निदेशालय को प्रिन्ट मीड़िया में प्रकाशनार्थ।
11. सुरक्षित पत्रावली।

06/06/2020

(भूपेन्द्र माथुर)
मुख्य अभियन्ता

Scanned with CamScanner

मनसून से पूर्व नाले–नालियों की सफाई एवं मलबे (सिल्ट) को उठाने की सूचना :

क्रम सं.	नगरीय निकाय का नाम	निकाय क्षेत्र में स्थित नाले की कुल लम्बाई (रनिंग मीटर में)			अब तक साफ किये गये नालों की लम्बाई (रनिंग मीटर में)			उठाये गये कचरे–मलबे की मात्रा (टन में)	सफाई से वंचित नालों की कुल लम्बाई (रनिंग मीटर में)	सफाई नहीं होने का कारण	शेष नालों को कब तक साफ कर दिया जावेगा ?	विशेष विवरण
		क्रम सं.	बड़े/छोटे नाले का नाम	लम्बाई (मीटर में)	क्रम सं.	बड़े/छोटे नाले का नाम	लम्बाई (मीटर में)					
1.	2.	3.			4.			5.	6.	7.	8.	9.

आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी,
नगर निगम/परिषद/पालिका,
____

Scanned with CamScanner